



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 25]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 11, 2019/पौष 21, 1940

No. 25]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 11, 2019/PAUSHA 21, 1940

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 जनवरी, 2019

**सा.का.नि. 25(अ).**—केन्द्रीय सरकार, आपदा प्रबंध अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 75 के साथ पठित धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध कर्मचारी संस्थान (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय आपदा प्रबंध कर्मचारी संस्थान (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) संशोधन नियम, 2018 है।

2. ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंध कर्मचारी संस्थान (भर्ती और सेवा की अन्य शर्तें) नियम, 2014 के नियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :-

“8. विभागीय चयन/प्रोन्नति समिति (नियुक्ति/प्रोन्नति पर विचार के लिए) जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट है, की सिफारिश पर कार्यकारी निदेशक और आचार्य के पदों के सिवाय विभिन्न पदों के लिए सभी नियुक्तियां कार्यकारी निदेशक, राष्ट्रीय आपदा प्रबंध संस्थान द्वारा की जाएंगी। विभागीय चयन/प्रोन्नति समिति (नियुक्ति/ प्रोन्नति पर विचार करने के लिए) की सिफारिश पर कार्यकारी निदेशक और आचार्य के पद पर नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाएगी।”

[फा. सं. 45-32/2018-एनडीएम-III]

संजीव कुमार जिंदल, संयुक्त सचिव (डीएम)

**MINISTRY OF HOME AFFAIRS****NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th January, 2019

**G.S.R. 25(E).**—*In exercise of the powers conferred by section 43 read with section 75 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Central Government hereby makes the following rules to amend the National Institute of Disaster Management Employees (Recruitment and Other Conditions of Service), Rules, 2014, namely:-*

*1. These rules may be called the National Institute of Disaster Management Employees (Recruitment and Other Conditions of Service), Amendment Rules, 2018.*

*2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.*

*3. In the National Institute of Disaster Management Employees (Recruitment and Other Conditions of Service), Rules, 2014, for rules 8, the following rule shall be substituted, namely:-*

*“8. All appointments to the various posts, except the posts of Executive Director and Professor, on the recommendation of the Departmental Selection/promotion Committee (for considering appointment/Promotion) as specified in the Schedule, shall be made by the Executive Director, National Institute of Disaster Management. Appointment to the post of Executive Director and Professor, on the recommendation of Departmental Selection/promotion Committee (for considering appointment/promotion); shall be made by the Central Government.”*

[F.No. 45-32/2018-NDM-II ]

SANJEEV KUMAR JINDAL, Jt. Secy. (DM)